उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

<u>सी482 प्रार्थनापत्र संख्या 1477 सन् 2022</u>

गौरी शंकर गुप्ता ..... आवेदक

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य व अन्य ..... उत्तरदातागण

श्री एच0सी0 पाठक, श्री बी0डी0 पाण्डे, आवेदक की ओर से अधिवक्ता
श्री अतुल शाह, उप महाधिवक्ता, श्रीमती ममता जोशी, ब्रीफ धारक, उत्तराखण्ड राज्य की ओर से

<u>माननीय न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा (मौखिक)</u>

पॉच बुनियादी मुद्दों पर जवाब देने से पहले जिन्हें आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष संज्ञान आदेश दिनांकित 22–10–2021 को चुनौती देते हुये आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार द्वारा दाण्डिक वाद संख्या 11881/2021 राज्य बनाम गौरी शंकर गुप्ता में पारित किया गया है, जिसके माध्यम से आवेदक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अपराध के विचारण के लिए तलब किया गया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार नियोजित कर्मचारियों के भविष्य निधि में अनियमितताओं के सम्बन्ध में अविनाश कुमार द्वारा दिनांक 13–10–2022 को प्राथमिकी पंजीकृत करवाई गई।

3. प्राथमिकी के आरोपों के अनुसार आवेदक द्वारा ई.पी.एफ. अधिकारियों के साथ पंजीकरण संख्या यू0के0/34227, जी.एम.एस. रोड, कावली देहरादून में कर्मचारी भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त किया गया लेकिन प्राथमिकी में लगाये गये आक्षेपों में अन्नतः यह पाया गया कि आवेदक कर्मचारी, उस कर्मचारी के सम्बन्ध में जो उसके द्वारा नियुक्त किया गया था, भविष्य निधि अंशदान जमा करने के उद्देश्य से एक ही खाते का संचालन कर रहा था क्योंकि वह जनशक्ति की आपूर्ति के कारोबार में लगा

हुआ दिखाया गया है और इसके परिणाम स्वरूप, चूँकि योगदान केवल एक खाते के खिलाफ जमा किया गया था, प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया कि वर्तमान आवेदक द्वारा ₹12,52,661/– की भुगतान राशि गबन और हड़पने की साजिश रची गई।

4. मामले में अन्वेषण किया गया और धारा 173 दण्ड प्रक्रिया सहिता के तहत आरोप पत्र संख्या 01/28–03–2021 विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और आरोप पत्र की सामग्री के अनुसार, जैसा कि पैरा 16 में उल्लिखित है, निम्न आरोप साबित पाए गए :–

> ''श्रीमान जी मुकदमा उपरोक्त वादी मुकदमा श्री अविनाश कुमार कटारिया पुत्र स्व0 हरवंश सिंह नि0 लेन नं0 7 क0नं0 106 केशव विहार जनरल महादेव सिंह रोड देहरादून उत्तराखण्ड हाल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय व्योमप्रस्थ जीएमएस रोड देहरादून (प्रवर्तन अधिकारी) द्वारा म0अ0सं0 539/2020 धारा 420 भादविव बनाम गौरी शंकर गुप्ता पुत्र श्री राम प्रसाद गुप्ता नि0 खनौली थाना निगलौल जिला महाराज गंज उ0प्र0 के विरूद्ध कायम व दर्ज कराया गया दौराने विवेचना बयान गवाहान, दस्तावेजों के अवलोकन आदि से अभि0 गौरी शंकर गुप्ता प्रोपराइटर मैसर्स गौरी शंकर पोलिश वर्क्स लि0 पीएफ कोड नं0 UK/34227 के माध्यम से पी.एफ. का पैसा धोखाधड़ी कर प्राप्त करने के पर्याप्त साक्ष्य हैं। अभियुक्त को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सं0 77/2021 के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा धारा 41क सीआरपीसी के तहत अनुपालन करने का आदेश पारित किये गये आदेश का पालन करते हुए अभियुक्त को दिनांक 18.01.2021 को धारा 41क सीआरपीसी के तहत नोटिस तामील कराया गया। तामामी विवेचना से अभि0 गौरी शंकर गुप्ता उपरोक्त के विरूद्ध धारा 420 भादवि के पर्याप्त साक्ष्य है। अतः अभि0 का चालान जरिये आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जाता है। महोदय से निवेदन है कि सबूत तलब फरमाकर उचित दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।''

5. दस्तावेजों की जॉच और साक्षियों के बयान दर्ज करने के बाद यह पाया गया कि वर्तमान आवेदक जिसके पास पी.एफ. कोड नं0 UK/34227 का पंजीकरण था और जिसके द्वारा अंशदान जमा किया जाना था वास्तव में धनराशि जमा न कर धोखाधड़ी की है और इसके परिणाम स्वरूप यह पाया गया कि वर्तमान आवेदक धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता

के अपराध के लिए अभियोजित किये जाने का दायी था। अतः आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के फलस्वरूप मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार के न्यायालय में फौजदारी वाद संख्या 11881/2021 राज्य बनाम गौरी शंकर गुप्ता दर्ज किया गया जिसमें प्रश्नगत संज्ञान आदेश दिनांकित 22–10–2021 द्वारा समन किया गया।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दृढ़ता के साथ तर्क दिया गया कि अदालत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन पर विचार करते समय अपने अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही थी। धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के आवेदन पर इस न्यायालय को सम्बोधित करते हुए वर्तमान आवेदक द्वारा अपने बचाव में संदर्भित किए गए विभिन्न सबूतों और दस्तावेजों में की गई टिप्पणियों की सराहना करने का आहवान किया गया।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को को संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है –

(1) यह कि दिनांक 28–03–2021 को अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के परिशीलन से प्राथमिकी में वर्णित अपराध स्पष्ट रूप से स्थापित नहीं होता है।

(2) यह कि जॉच अधिकारी द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ प्राथमिकी को विचार में लिया जाए तो आरोप यह है कि आवेदक द्वारा नियुक्त कई कर्मचारियों के पी0एफ0 अंशदान जमा करने के उद्देश्य से केवल एक खाता संचालित किया जा रहा था। चूँकि आवेदक को एकल खाते में किए गए पूर्वोक्त जमा का एकमात्र लाभार्थी होना सीधे तौर पर स्थापित नहीं किया गया है इसलिए आवेदक के खिलाफ परिवाद में वर्णित अपराध नहीं बनता है।

(3) यह कि आवेदक को धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराधों के गठन के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि 1952 के अधिनियम के तहत योगदान जमा करने के उद्देश्य से आवेदक को एकमात्र भूमिका सौंपी गई थी कि उसे केवल फार्म–19 को सत्यापित करना था जो वर्तमान आवेदक के साथ काम करने वाले सम्बन्धित कर्मचारियों/कर्मकार के सम्बन्ध में जमा राशि के साथ जमा किया जाना था।

(4) यह कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र जिसके आधार पर

संज्ञान लिया गया है, अपने आप में एक सरसरी टिप्पणी है और प्राथमिकी में लगाए गए आक्षेप पर विचार नहीं किया गया क्योंकि जॉच अधिकारी ने आरोप पत्र में अपना निष्कर्ष दर्ज करते समय आवेदक द्वारा जमा किए गए धन के पहलू पर विचार नहीं किया गया।

(5) यह कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप कि विभिन्न श्रमिकों के सम्बन्ध में योगदान केवल एकल खाते में जमा किया गया था, विभिन्न फार्म संख्या 19 के दृष्टिगत स्थापित नहीं किया गया है, जिसे आवेदक द्वारा संदर्भित किया गया है, जिसे उनके द्वारा भविष्य निधि अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो विभिन्न कर्मकार जैसे श्री सुरेन्द्र कुमार, श्री नरोत्तम कुमार व श्री नरेन्द्र कुमार से सम्बन्धित था।

(6) यह कि एस.ओ.पी. जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया था और जो मुकदमों के निपटारा के लिए ''मानक संचालन प्रक्रिया'' निर्धारित करता है, धारा 420 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप वर्तमान आवेदक के खिलाफ इस कारण नहीं लगाया जाएगा कि लेखा अनुभाग में दावे की प्रक्रिया जो एस.ओ.पी. का एक हिस्सा है, समग्र दावा प्रपत्र, जो वर्तमान मामले में फार्म 19 होगा, प्रस्तुतकर्ता के अनुसार विधिवत प्रेषित किया गया था और जिसे प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था और इस सन्दर्भ में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा एस. ओ.पी. के खण्ड (पी) का संदर्भ देते हुये इसके तहत निकाला गया।

''पी. सदस्य द्वारा चुनी गई प्रेषण विधि दर्ज की जाती है तथा आवेदन में दिए गए बैंक विवरण को रद्द चैक/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा विधिवत तरीके से आवेदन के साथ संलग्न पासबुक की प्रति के माध्यम से सत्यापित किया गया।''

(7). अंत में वह प्रस्तुत करता है कि प्राथमिकी में आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों के पूरे समूह को लाने के लिए और आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के तहत प्रदान किए गए बुनियादी तत्वों को पूरा नही करते हैं, क्योंकि धोखाधड़ी और बेईमानी का तत्व एक तथ्य नहीं था जो कभी भी जांच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत करते समय स्थापित किया गया हो।

8. न्यायालय इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं हो सकता है कि धारा 482 के तहत शक्तियॉ, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रदान की गई हैं, जहां उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग के लिए एक अपवाद बनाया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की

धारा 482 निम्नानुसार है :–

> **''482. उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति –** इस संहिता की कोई बात उच्च न्यायालय की ऐसे आदेश देने की अन्तर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली न समझी जाएगी जैसे इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरूपयोग निवारित करने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो।''

9. वास्तव में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत निहित प्रावधान केवल सक्षम प्रावधान है जो उच्च न्यायालय द्वारा शक्तियों के प्रयोग के दायरे को विस्तृत करते हैं, ऐसे आदेश करने के लिए क्षेत्राधिकार का निहित प्रयोग जो आपराधिक प्रक्रिया के किसी भी दुरूपयोग को रोकने के लिए आवश्यक है या जो आवश्यक हो सकते हैं। प्राथमिकी में लगाए गए आक्षेपों को देखते हुए जो वर्तमान आवेदक के खिलाफ 13–10–2020 को दर्ज किया गया था और विशेष रूप से जिस तरह से ऑडिट रिपोर्ट, जो प्रस्तुत की गई थी, को देखते हुये पी.एफ. खाता संख्या यू.के./34227 संचालित किया जा रहा था, यह दर्शाता है कि आवेदक की ओर से एक स्पष्ट लापरवाही थी जिसके परिणामस्वरूप ई.पी.एफ. संगठन के साथ ₹12,52,661/– की राशि की धोखाधड़ी हुई जो योगदान था जिसे अन्यथा सक्षम भविष्य निधि अधिकारियों के समक्ष प्रपत्र संख्या 19 के माध्यम से संबंधित खातों में जमा किया जाना था।

10. ऐसा भी नहीं है कि जब जांच अधिकारी, जब वह एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में जांच कर रहे थे, तो उन्होंने 14 गवाहों की जॉच की थी और जांच के समापन पर, एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बकाया राशि की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। आवेदक द्वारा देय कथित ई.पी.एफ. अंशदान की राशि को एक खाते में जमा करने के लिए केवल पी.एफ. कोड संख्या यूके/34227 के खिलाफ पाया गया था और उक्त रिकॉर्ड के अवलोकन पर, पर्याप्त सबूत थे जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के तहत निहित प्रावधानों के भीतर आवेदक के कार्य को विचाराधीन बनाने के लिए जांच अधिकारी के समक्ष उपलब्ध था।

11. यदि सम्मन आदेश दिनांक 22–10–2021 को भी ध्यान में

रखा जाता है, तो आरोप पत्र की सामग्री के साथ–साथ ऑडिट रिपोर्ट, जिसे समन आदेश में संदर्भित किया गया है, पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने अपना तर्क दिया कि वर्तमान आवेदक का संगठन एक ही खाते में आवेदक के साथ काम करने वाले विभिन्न कर्मचारियों/कर्मकारों के सम्बन्ध में अपना योगदान जमा कर रहा था जो अन्यथा एस.ओ.पी. के अनुसार जमा किया जाना चाहिए था, आवेदक के संगठन से संबद्ध संबंधित कर्मचारियों के विरूद्ध था।

12. समन आदेश में कहा गया है कि उन दस्तावेजों की जॉच करने के बाद, जिन पर जॉच अधिकारी ने भरोसा किया था और शिकायत, जो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के तहत अपराध किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि सबूतों और दर्ज किए गए निष्कर्षो की सराहना करने पर भविष्य निधि योगदान का स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी से ₹12,52,661/– का दुरूपयोग किया गया था।

13. समन आदेश और आरोप पत्र में आगे यह देखा गया कि आवेदक को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(क) के तहत नोटिस जारी किए गए थे और इसके बाद उन्हें उन अपराधों के लिए अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया गया जो उसके खिलाफ दाण्डिक वाद संख्या 11881/2021 के रूप में दर्ज किया गया।

14. जैसा कि ऊपर संक्षेपित किया गया है, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि न्यायालय की राय है कि सक्षम करने वाले प्रावधान, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदान किए गऐ हैं, अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुये कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं कि न्यायालय को जॉच शुरू नहीं करनी चाहिए और उन साक्ष्यों की सराहना करनी चाहिए, जिन पर पक्षकारों द्वारा भरोसा किया गया था या आवेदक के खिलाफ लगाए गए आरोपों को सेट के लिए अपनी तर्कसंगतता का परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि आरोप की स्थिरता हमेशा निचली अदालत द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **स्टेट ऑफ ए.पी. बनाम गौरीशेट्टी महेश व अन्य, 2010 (4) सी.आर.एल. जे. 3844** में अवधारित किया गया है और विशेष रूप से इसके द्वारा उच्च

न्यायालय द्वारा शक्तियों के प्रयोग के दायरे का प्रावधान किया गया था, जो एक ऐसा पहलू था जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धों के भीतर विचार किया गया था, जैसा कि निर्णय के प्रस्तर संख्या 12 में देखाव गया है जो निम्न प्रकार है –

> ''12. संहिता की धारा 482 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय सामान्य रूप से इस बात की जांच शुरू नहीं करेगा कि क्या विचाराधीन साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं या क्या इसके उचित मूल्यांकन पर आरोप कायम नहीं रहेगा। यह विचारण न्यायाधीश/न्यायालय का कार्य है। यह सच है कि न्यायालय को विवेक का प्रयोग करने में सतर्क और विवेकपूर्ण होना चाहिए और आदेशिका जारी करने से पहले सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, अन्यथा यह एक निजी शिकायतकर्ता के हाथों में किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान करने के लिए प्रतिशोध का एक साधन होगा। इसके साथ ही धारा 482 किसी अभियुक्त को अभियोजन पक्ष को शॉर्ट–सर्किट करने के लिए सौंपा गया साधन नहीं है और पूर्ण जांच के बिना इसे बन्द कर देता है। यद्यपि उच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए संज्ञेय अपराधों से संबंधित अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए जहां एफ.आई.आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उनकी सम्पूर्णता को स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं या एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध का खुलसा नहीं करते हैं या किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं या जहां सहिता के किसी भी प्रावधानों या किसी अन्य अधिनियम में स्पष्ट कानूनी प्रतिबंध प्रदान किया गया है जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है या यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण अभियुक्त से बदला लेने के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ शुरू की गई है, उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। हालांकि धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के पास व्यापक शक्तियॉ हैं तथापि इस तरह की शक्ति के प्रयोग में देखभाल और

सावधानी की आवश्यकता होती है। हस्तक्षेप ठोस सिद्धान्तों पर होना चाहिए और अंतर्निहित शक्ति का उपयोग वैध अभियोजन को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप उस अपराध का गठन नहीं करते हैं जिसका मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है तो उच्च न्यायालय द्वारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इसे रद्द करने के लिए खुला है।''

15. बल्कि, एक निष्कर्ष जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निकाला गया है, यह देखा गया था कि यद्यपि शक्तियां, जो उच्च न्यायालय के पास हैं, काफी व्यापक हैं, लेकिन शक्तियों का प्रयोग कुछ सीमाओं और प्रतिबन्धों के भीतर किया जाना है ताकि इसका परिणाम साक्ष्य के परिशीलन में न हो, जिसका परीक्षण पर अंतिम असर हो सकता है। इस प्रकार अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग साक्ष्य के परिशीलन से बचने के लिए स्व–जांच और नियंत्रण के कुछ अभ्यास के भीतर और उचित देखभाल और एहतियात के साथ परिचालित किया जाना है, जैसा कि आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है, से संबंधित है और आरोप पत्र की गैर–स्थिरता, क्योंकि पूरी सामग्री पर जांच अधिकारी द्वारा विचार नहीं करने का आरोप जगाया गया है।

16. **''हमीदा बनाम राशिद उर्फ रशीद व अन्य, 2008 (1) एस.सी.सी. 474''** में रिपोर्ट किए गए एक अन्य फैसले में, जहां फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका की स्थिरता से संबंधित उपरोक्त सिद्धान्तों को दोहराया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482, उच्च न्यायालय की निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो सीमित है, क्योंकि यह माना गया है कि धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग अदालतों द्वारा केवल उन मामलों में अत्यधिक प्रयोग किया जाना चाहिए, जहां उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग में जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि अंतर्वर्ती आदेशों के खिलाफ है जो अभी तक है, आरोपी व्यक्ति को एक अवसर प्रदान करने के बाद योग्यता के आधार पर मुकदमे की परिणिति के माध्यम से निर्धारित किया जाना है। प्रासंगिक अवलोकन, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया है, पूर्वोक्त निर्णय के पैरा संख्या 6, 7, 8 और 13 में निहित है जो निम्न प्रकार

है :–

6. हम शिकायतकर्ता अपीलार्थी की ओर से दिए गए तर्क से सहमत हैं। धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सुरक्षित करती है और इसकी भाषा काफी स्पष्ट है जब यह कहा जाता है कि संहिता में कुछ भी ऐसे आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा जो सहिंता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो, या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा एक प्रक्रियात्मक संहिता, चाहे कितनी भी व्यापक हो, स्पष्ट रूप से उन सभी मामलों या बिन्दुओं के खिलाफ आने के लिए हर समय का प्रावधान नहीं कर सकती है जो संभवतः उत्पन्न हो सकते हैं और यह आवश्यक है कि न्याय प्रभावित न हो, प्रत्येक न्यायालय को उचित मामलों में न्याय के उद्देश्यों के लिए या संहिता के अन्य प्रावधानों को पूरा करने के उद्देश्य से अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यह एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक न्यायालय के पास उस वास्तविक और पर्याप्त न्याय को करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से न्यायसंगत कार्य करने की अंतर्निहित शक्ति है जिसके प्रशासन के लिए केवल यह मौजूद है या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए है। जैसा कि प्रिवी काउंसिल इम्पीरर बनाम ख्वाजा नजीर अहमद एम.ए.एन.यू./पी.आर./0007/1944 में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898 (धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता) की धारा 561–ए के सम्बन्ध में प्रिवी काउंसिल द्वारा अभिनिर्धारित किया गया था। उक्त प्रावधान कोई नई शक्तियों नहीं देती है। यह केवल प्रावधान करता है कि जो पहले से ही स्वाभाविक रूप से न्यायालय के पास हैं, उन्हें संरक्षित किया जाएगा और जोड़ा जाएगा, ऐसा न हो कि यह माना जाए कि न्यायालय के पास केवल वे शक्तियां हैं जो संहिता द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान की गई हैं और यह कि कोई भी अंतर्निहित शक्ति अधिनियम के पारित होने से बच नहीं पाई थी।

7. यह एक सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उच्च न्यायालयों को अंतर्निहित शक्ति प्रदान की गई है। इसे सावधानीपूर्वक और दुर्लभ मामलों में प्रयोग किया जाना चाहिए और वह भी पेटेंट की अवैधताओं को ठीक करने के लिए या जब न्याय की विफलता की जाती है। धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति की

सामग्री और दायरा मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र राज्य में जॉच कर अभिनिर्धारित किया गया था कि –

उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिद्धान्त बताये जा सकते हैं –

(1) कि पीड़ित पक्ष की शिकायत के निवारण के लिए संहिता में कोई विशिष्ट प्रावधान होने पर शक्ति का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए,

(2) कि इसका उपयोग किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए बहुत संयम से किया जाना चाहिए,

(3) कि इसका उपयोग संहिता के किसी अन्य प्रावधान में अंकित कानून के स्पष्ट निषेध के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए।

8. राज्य बनाम नवजोत संधू में पहले के कई फेसलों की समीक्षा के बाद यह अभिनिर्धारित किया गया था कि –

29. .....अंतर्निहित शक्ति का उपयोग केवल उन मामलों में किया जाना है जहां न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग होता है या जहां न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हस्तक्षेप बिल्कुल आवश्यक है। अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग बहुत कम किया जाना चाहिए क्योंकि जिन मामलों में हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है वे बहुत कम होंगे। सबसे आम मामला जहां अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग आम तौर पर किया जाता है, वह है जहां आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे अवैध रूप से, कष्टप्रद रूप से या अधिकार क्षेत्र से बिना शुरू की जाती हैं। ऊपर बताए गए अधिकांश मामले इस श्रेणी में आते हैं। यह याद रखना चाहिए कि अंतर्निहित शक्ति का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए यदि संहिता या किसी अन्य अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के निवारण के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान है। इस शक्ति का प्रयोग दण्ड प्रक्रिया संहिता के किसी भी अन्य प्रावधान में निहित स्पष्ट निषेध के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए।

13. मामले से अलग होने से पहले, यह देखने के लिए विवश करते हैं कि न्यायालय की बार–बार घोषणाओं के बावजूद धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अंतर्निहित शक्ति दुर्लभ मामलों में सावधानी के साथ प्रयोग किया जाना चाहिए और वह भी जब न्याय की विफलता की जाती है तो उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत याचिका पर विचार किया गया जिसका अंतिम परिणाम यह था कि

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 324, 352 और 504 के तहत अपराध के लिए अभियुक्त के पक्ष में दिए गए जमानत के आदेश को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 के तहत अपराध में परिवर्तित किए जाने के बाद भी उनके लाभ के लिए सुनिश्चित किया गया था और बाद में जब उनके खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 सपठित धारा 242 के तहत आरोप तय किया गया था। अभियुक्त एक दिन भी अभिरक्षा में नहीं रहा और न ही उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 या 302 के तहत जमानत के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में आवेदन किया गया फिर भी उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आधार पर उपरोक्त अपराधों के तहत जमानत का विशेषाधिकार मिला। उच्च न्यायालयों के डाकेट भरे हुए है और उच्च न्यायालय में हत्या की अपीलों की एक लम्बी विचाराधीनता है जिससे यह मामला उत्पन्न हुआ है। न्याय का अंत बेहतर होगा यदि न्यायालय का मूल्यवान समय धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत याचिकाओं पर विचार करने के बजाय उन अपीलों की सुनवाई में खर्च किया जाता है। एक अंतर्वर्ती स्तर पर जो अक्सर निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य के साथ दायर किया जाता है, जैसा कि यहां मामला है, या मुकदमे में देरी करने के लिए जो अभियुक्त को पैसे या बाहुलता से गवाहों को जीतने में सक्षम बनाएगा या वे साक्ष्य देने में उदासीन हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः न्याय की विफलता हो सकती है।

17. **पॉप्यूलर मुथैया बनाम राज्य, 2006 (7) एस.सी.सी. 296** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग समान सिद्धान्त निर्धारित किए थे जिसमें पैरा संख्या 32 और 34 में यह देखा गया है कि दो अलग–अलग वर्ग के मामले हैं जहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा सकता है, में अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग, लेकिन शक्तियों का प्रयोग अपनी सीमा के भीतर किया जाना होगा, उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को निहित करने का मतलब साक्ष्य का परिशीलन कर पीड़ित पक्ष की शिकायतों का निवारण करना नहीं है, और वह भी अपने स्वयं के निष्कर्षो को प्रतिस्थापित करके। उपरोक्त सिद्धान्तों और अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले मापदण्डों पर निर्णय के प्रस्तर संख्या 30 में चर्चा की गई है जो निम्न प्रकार है :–

''30 आकस्मिक या पूरक शक्ति के सम्बन्ध में, स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय कार्यवाही की प्रकृति के बावजूद अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। यह प्रक्रियात्मक प्रतिबंधों द्वारा कुचला नहीं जाता है :

(i) न्याय के हित में स्वतः ही शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। यदि इस तरह की शक्ति को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो यह किसी अभियुक्त के साथ अन्याय का कारण भी बन सकता है।

(ii) ऐसी शक्ति का उपयोग अपीलीय या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के साथ समवर्ती रूप से किया जा सकता है और इसके लिए कोई कोई औपचारिक आवेदन दायर करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) हालांकि, यह किसी भी संदेह से परे है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति असीमित नहीं है, इसका प्रयोग अन्य बातों के साथ–साथ वहां किया जा सकता है जहां संहिता मौन है, जहां न्यायालय की शक्ति को सम्पूर्ण नहीं माना जाता है, या संहिता में कोई विशिष्ट प्रावधान है, या कानून संहिता के दायरे में नहीं आता है क्योंकि इसमें एक विशेष कानून का अनुप्रयोग शामिल है। यह पूर्व ऋण न्याय का कार्य करता है। इस प्रकार यह वास्तविक और पर्याप्त न्याय कर सकता है जिसके लिए केवल यह मौजूद है।

18. दिल्ली उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय **''कविता बनाम राज्य व अन्य, 2000 सी.आर.एल.जे.315''** के प्रस्तर संख्या 6 और 10 को ध्यान में रखा जाता है तो यह निर्धारित किया गया है कि धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब धारा 482 के आवेदन के लिए आवेदक को आरोप पत्र और समन आदेश में की गई टिप्पणियों के अनुसार शिकायतों के निवारण के लिए कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं है। निर्णय के प्रासंगिक प्रस्तर संख्या 6 और 10 को नीचे उद्वत किया गया है :–

''6 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इन सभी आधिकारिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य विश्लेषण पर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय की अंतर्निहित क्षेत्राधिकार न्याय की प्रगति के लिए प्रयोग किया जा सकता है और यदि न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है और यह न्यायालय अपने हस्तक्षेप को बिल्कुल आवश्यक मानता है, तो उस स्थिति में दण्ड

प्रक्रिया संहिता की धारा 397 की उप धारा (3) का प्रावधान धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग को सीमित या प्रभावित नहीं कर सकता है लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि धारा 482 के तहत असाधारण शक्तियों का उपयोग संयम से किया जाना चाहिए और इसका उपयोग अपील या संशोधन के उपाय के रूप में नहीं किया जाना चाहिए।

10. वर्तमान मामले में, पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498ए/406/376/420/495/120–बी/511 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया था। स्वीकृत रूप से आरोप पत्र में अपराधों में से एक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 है जो विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। विद्वान महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा 11–09–1995 को पारित किए गए आक्षेपित आदेश के अलवेाकन पर यह प्रतीत होता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने खुद को संतुष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की कि गुण–दोष के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है, उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 495/420/376/ 120–बी/511 के तहत दण्डनीय अपराधों का संज्ञान लेने में अपनी अनिच्छा के बारे में कारण बताए हैं। इस प्रकार प्रभावी रूप से विद्वान मजिस्ट्रेट ने प्रत्यर्थियों को उपरोक्त अपराधों से मुक्त कर दिया गया है। मेरी राय में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 495/420/376/120–बी/511 के तहत दण्डनीय अपराधों के प्रतिवादियों को दोषमुक्त करने में विद्वान मजिस्ट्रेट का पूरा दृष्टिकोण गलत है क्योंकि संहिता की धारा 209 के तहत उन्हें प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए भी गुण–दोष में जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। धारा 209 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत मजिस्ट्रेट को केवल मामले को सत्र न्यायालय को सौंपना होता है और सत्र न्यायाधीश अभियुक्त को संहिता की धारा 227 के तहत आरोप मुक्त कर सकते हैं, यदि वह संतुष्ट हो कि उसके सामने रखी गई सामग्री से कोई अपराध बनना प्रतीत नहीं होता है। इस सम्बन्ध में संजय गांधी बनाम भारत संघ व अन्य 1979 सी.एल.आर.(एस.सी.) 14 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया जाए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संहिता की धारा 228 सत्र न्यायाधीश को मामले को कमिटल न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देती है, यदि उनकी राय है कि कि यह अनुमान लगाने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है जो विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है। मामले के इस

दृष्टिकोण में, मैं यह पाता हूं कि दिनांक 11–09–1995 को विद्वान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 से 5 को उन्मोचित करने के सम्बन्ध में पारित आदेश धारा 495/420/376/120–बी/511 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध का अपमान है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 सपठित धारा 483 के तहत शक्तियों का प्रयोग उक्त अवैधता को निरस्त करने के लिए आवश्यक हो गया है।

19. अनिवार्य रूप से उपरोक्त सभी मामलों में, यह निर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालयों को उन निष्कर्षो में प्रवेश नहीं करना चाहिए जो जांच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र में दर्ज किए गए थे जिसे अभियुक्त व्यक्ति के मुकदमे की प्रथम दृष्टया आवश्यकता को उचित ठहराते हुए निचली अदालत द्वारा समन आदेश जारी करने के उद्देश्यों के लिए एक आधार के रूप में लिया गया है, कारण, जो मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तर संख्या 10 में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए समन के उद्देश्यों के लिए सौंपा गया है, केवल मामले की प्रथम दृष्टया स्थापना की अभिव्यक्ति है, जिसके लिए एक परीक्षण की आवश्यकता होती है, न कि एक वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष।

20. इसलिए, समन आदेश को अपने आप में किसी भी अंतिमता के साथ संलग्न नहीं कहा जाएगा क्योंकि आरोपों के समूह का पहलू अभी भी एक विषय वस्तु होगी जिसे मुकदमे की परिणति पर साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद ही स्थापित किया जाना चाहिए और 482 आवेदन, उच्च न्यायालयों द्वारा आरोप पत्र या समन आदेश के औचित्य से संबंधित एक सकारात्मक निष्कर्ष निकालने के लिए नहीं किया जाना चाहिए जिसमें कथित आधारों के बहाने, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निष्कर्षों की अपर्याप्तता के सम्बन्ध में, जो आरोप पत्र में दर्ज किया गया था, जिसे वर्तमान मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि पूरी सामग्री पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया था।

21. जहां तक एक ही खाते में राशि जमा करने से संबंधित एफ. आई.आर. में की गई टिप्पणियॉ, जिन्हें आवेदक द्वारा विभिन्न प्रपत्र 19 का संदर्भ देकर ओवरराइड करने की मॉग की गई है, जो कि भविष्य निधि

विभाग के एस.ओ.पी. के अनुसार प्रस्तुत किए जाने का आरोप लगाया गया है, लेखा परीक्षा रिपोर्ट (2) द्वारा देखे गए उपरोक्त अवलोकन को दूर करने के लिए आवेदक द्वारा जिन कुछ उदाहरणों पर भरोसा किया गया है, वे अभी भी एक विषय वस्तु होंगे जिन पर वर्तमान 482 आवेदन के पृष्ठ संख्या 64, 66 और 68 में निर्दिष्ट दस्तावेजों की वास्तविकता के बारे में विचार किया जाना आवश्यक है। इसका कारण यह है कि इस न्यायालय का विचार है कि 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये, जो प्रकृति में अंतर्निहित है, इस न्यायालय के पास कोई तंत्र नहीं है जिसका उपयोग उच्च न्यायालयों द्वारा अवलोकन को पूरा करने के लिए दस्तावेजों के औचित्य का मूल्यांकन करने के लिए किया जा सकता है, एक आरोप जो प्राथमिकी और आरोप पत्र में लगाया गया था क्योंकि वह अभी भी एक विषय वस्तु होगी जिसकी परीक्षण अदालत द्वारा जॉच की जानी है।

22. इसलिए, उपरोक्त कारणों और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों के प्रयोग की सीमा के कारण, 482 के तहत उच्च न्यायालयों को एक असीमित अंतर्निहित शक्तियां मिली हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि वे इसका उपयोग इस तरह से करें जैसे कि उच्च न्यायालय निचली अदालत के विकल्प के रूप में काम कर रहा हो।

23. उपरोक्त कारणों को देखते हुये, मुझे 482 आवेदन में कोई योग्यता नहीं मिलती है, क्योंकि आरोप पत्र और समन आदेश, जो वर्तमान सी482 आवेदन में आक्षेपित हैं, दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 482 के तहत अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद मेरी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते समय विचार के लिए नहीं आते हैं। तद्नुसार आवेदन खारिज किया जाता है।

(शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति)

24.08.2022